भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्कआयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्डन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: cochincustoms@nic.in
Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468

फाईल सं. II/(3)/TFR/164/2021-ESTT-O/oCOMMR-CUS-COCHIN दिनांक 27.03.2023

स्थापना परिपत्र सं. Establishment Circular No. 22/2023

विषय: अनुसचिवीय अधिकारियों से सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय(निवारक), कोचिन में तैनाती हेतु स्वेच्छा का आमंत्रण- के संबंध में।

Sub: Calling of willingness for posting of Ministerial Officers to Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin-reg.

*****

सीमा शुल्क गृह, कोचिन के संवर्ग नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले अनुसचिवीय अधिकारियों से सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं में तैनाती के लिए स्वेच्छा आमंत्रित की जाती है।

Willingness is invited from Ministerial Officers coming under the cadre control of Custom House, Cochin for posting to formations under the Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin.

2. अनुसचिवीय अधिकारी इस परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वेच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वेच्छा प्रस्तुत करते समय, कृपया उस आयुक्तालय/संरचना में तैनाती हेतु वांछित स्थान का उल्लेख करें।

The Ministerial Officers may submit their willingness in the prescribed format attached herewith. While submitting the willingness, the preferred location of posting in that Comissionerate/formation may please be indicated.

3. अनुसचिवीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्वेच्छा और वरीयताएँ तैनाती की सूची निर्धारित करते समय विचार किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी। तथापि, यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि, केवल स्वेच्छा का दिया जाना किसी भी वांछित संरचना में आवेदक को स्थानांतरण का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। स्थानांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यवहार्यता के अधीन लिया जाएगा। सीमा शुल्क मौजूदा निर्देशों व चली आ रही परिपाटी के अनुसार सी सी पी के लिए कर्मचारियों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। पर्याप्त अधिकारियों द्वारा स्वेच्छाओं की प्राप्ति न होने की स्थिति में तैनाती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी।

The willingness and preferences submitted by the Ministerial Officers will be placed before the Competent Authority for being considered while issuing posting. However, it is made clear that the mere exercise of willingness would not confer any right on the applicant for transfer to any formation. The final decision with

regard to transfer would be made by the Department, subject to administrative feasibility. The Custom House is obligated to supply staff as per extant directions and / or conventions to CCP. In the event of non-receipt of sufficient willingness being exercised by the Officers, the postings will need to be made on administrative requirements.

4. 31.03.2023 तक अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण के मामले में यदि किसी अधिकारी को सीमा शुल्क गृह के बाहर उसके वर्तमान पद पर 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रखा जाना आवश्यक है तो इस स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारियों के समक्ष विस्तृत स्पष्टीकरण निर्धारित अंतिम तिथि के साथ मांगी गई विस्तारित अवधि के लिए अपर/संयुक्त आयुक्त के समकक्ष पद के अधिकारियों के समर्थन सहित अग्रेषित किया जाएं।

In the event any Officer is required to be retained at his current post outside Custom House, beyond 2 years or more as on 31.03.2023 in case of inter-Commissionerate transfer, the detailed justification along with firm end date for extended period sought for may be forwarded with an endorsement from an Officer not below the rank equivalent to an Additional / Joint Commissioner to be placed before the concerned competent authorities.

5. अनुसचिवीय अधिकारियों द्वारा 10.04.2023 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी को स्वेच्छा प्रस्तुत की जाएं।

The Ministerial Officers may submit their willingness to the undersigned on or before 10.04.2023.

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the competent authority.

शुभा चन्द्रन Sd/-

(शुभा चंद्रन Subha Chandran)

सहायक आयुक्त (स्थापना) Assistant Commissioner (Estt.)

प्रेषित To: संबद्ध अधिकारी Concerned individuals.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy submitted to:

अपर आयुक्त (पी एंड वी), सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्त का कार्यालय, कैथोलिक सेंटर, कोचिन-682031

The Additional Commissioner (P&V), O/o the Commissioner of Customs (Preventive), Catholic Centre, Broadway, Cochin- 682031.

प्रतिलिपि Copy to:

1. सीमा शुल्क गृह के सभी अनुभाग All Sections in Custom House Cochin
2. एयरपोर्ट/एयर कार्गो कांप्लेक्स-कोचिन Airport / Air Cargo Complex- Cochin,
3. ई डी आई(वेबसाइट में अपलोड हेतु) EDI (for uploading on website).
4. पी ए डी PAD.
5. सूचना पट्ट Notice Board.